"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 108] रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 मार्च 2017— चैत्र 6 , शक 1939

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-06/आठ-परि./2017. — यतः, राज्य सरकार की राय है कि श्री रामकृष्ण आश्रम, बगीचा, जशपुर के स्वामित्व के मोटरयान क्र. सी.जी. 10सी/4398 एवं वाहन क्र. सी.जी.-14-जी/0223 (टाटा विंगर स्कूल बस) को लोक हित में मोटरयान कर के भुगतान से छूट प्रदान करना समीचीन होगा;

अतएव, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्री रामकृष्ण आश्रम, बगीचा, जशपुर के स्वामित्व के मोटरयान क्र. सी.जी.-14-जी/0223 को, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय मोटरयान कर के भुगतान से, छूट प्रदान करती है.

No. F 5-06/VIII/Trans./2017.— Whereas, the State Government is of the opinion that it would be expedient to exempt the motor vehicles No. C.G. 10C/4398 owned by the SHRI RAMKRISHNA ASHRAM, BAGICHA, JASHPUR and Vehicle No. C.G.-14-G/0223 (Tata Winger School Bus) from payment of motor vehicle tax in the public interest;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, exempts the motor vehicles No. C.G.-14-G/0223 owned by the SHRI RAMKRISHNA ASHRAM, BAGICHA, JASHPUR, from the payment of motor vehicle tax leviable under Section 3 of the said Adhiniyam, with effect from the date of issuance of this notification.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.